न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—80/2020/225 (2020/00080)

1. गोपाल पुत्र मांगीलाल,
2. दशरथ पुत्र मांगीलाल,
3. प्रधान पुत्र मांगीलाल,
4. कालू पुत्र कजोड़,
5. रामलाल पुत्र घीसा,
6. रामनाथ पुत्र घीसा,

जाति कुमावत, निवासी ग्राम बालापुरा, तह0 सावर, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र चन्द्रा,
2. संतरा पत्नी रामप्रसाद,
3. रणजीत पुत्र रामप्रसाद,
4. हरिराम पुत्र रामप्रसाद,
5. नारायण पुत्र चन्द्रा,
6. गोपाल पुत्र चन्द्रा,
7. राधेश्याम पुत्र चन्द्रा,
8. श्यामसुन्दर पुत्र चन्द्रा,

समस्त जाति कुमावत, निवासी ग्राम बालापुरा, तह0 सावर, जिला अजमेर।

9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भू अभिलेख सावर, जिला अजमेर ।
10. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक, सावर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

<u>अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी दिनांक 3.3.2020 अंतर्गत प्रकरण संख्या 80/2017.</u>

<u>उपस्थितः—</u>

1. श्री हेमराज गुप्ता, वकील अपीलांटस ।
2. श्री हसन खान, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 8.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 9 व 10.

<u>निर्णय</u>

दिनांकः— 8.9.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी केकड़ी के आदेश दिनांक 3.3.2020 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रार्थीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष वाद अंतर्गत धारा 88, 209 राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश कर कथन किया कि आराजी खसरा संख्या 1055/635, 1056/635 व 635 रकबा 0.17 है0 (155, 197 व 85) स्थित ग्राम बालापुरा, तहसील सावर जिला अजमेर पर अपीलांटस का पूर्वजों के समय से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है । उक्त आराजी में अपीलांट ने पिलाई हेतु चाह खुदवा रखा है । राजस्व

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अधिकारियों की गलती से रेस्पो0 संख्या 1 से 8 की खातेदारी में आराजी खसरा नंबर 635 दर्ज हो गया है इस कारण वाद के निस्तारण तक रेस्पो0 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि रेस्पो0 संख्या 1 से 8 अपीलांट की उक्त खातेदारी व कब्जेशुदा आराजी में दखलदांजी नहीं करे और अपीलांट को जबरन बेदखल नहीं करे । अधी0न्याया0 ने 3.3.2020 द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में स्पष्ट अभिमत नहीं दिया है केवल मात्र यह आदेश दिया है कि राजस्व किरार्ड में अंकित खातेदार का कब्जा माना जाता है । विवादित आराजी रेस्पो0 संख्या 1 से 8 के नाम गलत दर्ज हो गई है । पूर्व नक्शा ट्रेस के अनुसार मौके पर नाप चौप करने पर विवादित आराजी अपीलांटस की खातेदारी व कब्जेशुदा आराजी है । वाद के निस्तारण में समय लगने की संभावना है । विवादित आराजी पर अपीलांट ने जौं व सरसों की फसल काश्त कर रखी है जो पक कर तैयार खड़ी है । रेस्पो0 संख्या 1 से 8 का उक्त आराजी पर कभी कब्जा नहीं रहा है और ना ही वर्तमान में कब्जा काश्त है। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन भी अपीलांटस के पक्ष में है। यदि रेस्पो0 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो अपीलांटस को अपूर्णीय क्षति होगी । अधी0न्याया0 ने उपरोक्त सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर प्रार्थना पत्र खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त किया जावे तथा अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 स्वीकार किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 8 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात रेस्पो0 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । रेस्पो0 विवादित आराजियात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होने से उन्हें किसी भी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है । विवादित आराजियात पर अपीलांटस का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है बल्कि रेस्पो0 का कब्जा काश्त है । विद्वान अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से प्रार्थना पत्र खारिज किया है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद अधी0न्याया0 के समक्ष विचाराधीन है । अपीलांटस ने अपीलमीमों के पैरा संख्या 6 में विवादित आराजी रेस्पो0 संख्या 1 से 8 के नाम गलत दर्ज होने का कथन किया तथा पूर्व नक्शा ट्रेस के अनुसार मौके पर नाप चौप करने पर विवादित आराजी अपीलांट की खातेदारी व कब्जेशुदा आराजी होने का कथन किया है किन्तु अपीलांटस ने इस नाप–चौप संबंधी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है । अपीलांटस ने नक्शा ट्रेस पेश किया है जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि अपीलांटस विवादित भूमि पर काबिज काश्त है । विवादित आराजियात गलत रूप से रेस्पो0 के नाम दर्ज की गई है अथवा नहीं इसका निस्तारण बाद साक्ष्य मूल वाद में किया जावेगा किन्तु राजस्व रिकार्ड ग्राम बालापुरा की जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 में विवादित आराजी खाता संख्या नया 155 के खसरा नंबर 1055/635 रकबा 0.0500 है0

रामचंद्र पिता चन्द्रा कौम कुमावत के नाम दर्ज है तथा खाता संख्या नया 197 का खसरा संख्या 1056/635 रकबा 0.0600 है0 संतरा पत्नि रामप्रसाद, रणजीत बा0 हरिराम नाबालिग पि0 रामप्रसाद सरंक्षक माता खुद कौम कुमावत सा0देह खातेदार दर्ज है । इसी प्रकार खाता संख्या 85 नया का खसरा संख्या 635 रकबा 0.0600 है0 भूमि नारायण पिता चन्द्रा कौम कुमावत के नाम दर्ज होकर रेस्पो0 खातेदार काश्तकार दर्ज है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि रिकार्डेड खातेदार काश्तकार का ही खातेदारी आराजी पर कब्जा होने की अवधारणा की जाती है तथा रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को किसी भी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है । विद्वान अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से प्रार्थीगण/अपीलांटस का प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 खारिज किया है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा प्रकरण संख्या 80/2017 में पारित निर्णय दिनांक 3.3.2020 यथावत् रखा जाता है ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 8.9.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर